[12/8/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 768]

परिशिष्ट–1

क्र. 21269/एमपीआरडीसी/डीएम भोपाल/2020

प्रति,

भोपाल, दिनांकः 12/03/2020

मुख्य अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी,
कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
निर्माण भवन द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

विषयः राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 52 ब्यावरा–म.प्र./राज. सीमा मार्ग के किमी 445 से प्रारंभ होकर किमी 450 में जुड़ने वाले बायपास लंबाई 12 किमी हेतु राजगढ़ शहर के लिए नवीन बायपास बनाने बाबत्।

संदर्भः 1. माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.o/358411/MIN/RT & M/VIP/2019 दिनांक 25.11.2019.
2. म.प्र. शासन लो.नि.वि. मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. 2115/23477/2019 भोपाल दिनांक 05.08.2019.
3. माननीय विधायक श्री बापू सिंह तंवर, राजगढ़ का पत्र क्र. Q-4 दिनांक 22.07.2019.
4. मुख्य अभियंता (संधा.) का पत्र क्र. 7914/एमपीआरडीसी/संधा./2019 भोपाल दिनांक 07.09.2019.

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के दृष्टिगत माननीय विधायक राजगढ़ ने राजगढ़ शहर के व्यस्तम ट्राफिक को कम करने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु नवीन बायपास बनाने का लेख किया है। यह प्रस्तावित मार्ग शहर में विधमान राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 52 ब्यावरा–म.प्र./राज. सीमा मार्ग के किमी 445 से प्रारंभ होकर किमी 450 में जुड़ने वाला बायपास होगा जिसकी लंबाई 12 किमी एवं जो कि जगन्यापुरा, मान्यापुरा, गोलखेड़ी काशी, जूनापानी, दाताग्राम, दंड, रामपुरिया ग्रामों से होकर गुजरेगा। राजगढ़ शहर के लिए नवीन बायपास निर्माण का प्रस्ताव, म.प्र. सड़क विकास निगम संभाग भोपाल द्वारा तैयार किया गया है।

म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा प्रस्तावित नवीन बायपास निर्माण हेतु प्रथम स्तरीय प्राक्कलन मय एक रेखण मानचित्र राशि रू. 16.38 करोड तैयार कर (In Principle Approval) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु अग्रेषित है इस परियोजना की विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) कंसल्टेंट के माध्यम से तैयार कराने हेतु लगभग राशि रू. 24 लाख की आवश्यकता होगी। इस संबंध में माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य (राज्यसभा) को पत्र लिखकर प्रकरण मुख्य अभियंता (जोन–IV) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित करने का लेख भी किया है। (अनुलग्नक–1)

उपरोक्तानुसार मार्ग सैद्धांतिक स्वीकृति एवं विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

सहपत्रः संदर्भित पत्रों की छायाप्रति एवं एक रेखण मानचित्र मय प्रारंभिक प्राक्कलन।

मुख्य अभियंता (बीओटी)
एमपीआरडीसी, भोपाल

पृ. क्र. 21270/एमपीआरडीसी/डीएम भोपाल/2020

भोपाल, दिनांकः 12/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, लो.नि.वि., मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. माननीय विधायक बापूसिंह तंवर, राजगढ़, ई–137/1 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता (संधा.), एमपीआरडीसी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुख्य अभियंता (बीओटी)
एमपीआरडीसी, भोपाल